धारा-48. कतिपय अंशो के सम्बन्ध में दायित्व का सीमित होना.- यदि किसी सहकारी समिति में-

(क) राज्य सरकार द्वारा, या

(ख) प्रमुख राज्य भागिता-निधि से शीर्ष समिति द्वारा, या

(ग) सहायक राज्य भागिता-निधि से केन्द्रीय शीर्ष समिति द्वारा अंश क्रय किये जायें, तो सहकारी समिति के सभापति हो जाने की दशा में, ऐसे अंशों के सम्बन्ध में दायित्व अंशों के अंकित मूल्य (nominal value) तक सीमित रहेगा।